राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग
मतदान दिवस पर अवकाश हेतु
सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधानसभा आम चुनाव, 2018 के लिए दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 (शुक्रवार) को मतदान होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, को मतदान दिवस दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा ताकि वह विधानसभा आम चुनाव में अपना मत दे सकें।

ऐसा कार्मिक जो उपरोक्त क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है परन्तु वह बाहर के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित या कार्यरत् है उसे भी दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को मतदान के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

उपरोक्त अवकाश के कारण किसी व्यक्ति के वेतन में नियोक्ता द्वारा कटौती या कमी नहीं की जायेगी और यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कार्य करता है कि ऐसे अवकाश के दिन के लिए वेतन नहीं दिया जायेगा, तो भी उसे इस अवकाश का वेतन देय होगा, जो सामान्यतः उस दिन उसे मिलता, यदि उस दिन उसे अवकाश नहीं दिया जाता। लेकिन ये प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिये लागू नही होंगे जिनकी कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ख (3) के प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय अपराध है।

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।